प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार पाण्डेय, एच0जे0एस0,
पीठासीन अधिकारी,
वाणिज्यिक न्यायालय,
मुरादाबाद।

सेवा में,

श्रीमान उपनिबन्धक (बजट),
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक : 36 /2022 (कामर्शियल कोर्ट) मुरादाबाद दिनांक : मार्च 29, 2022.

विषयः- पुत्र के विवाह के लिए सामान्य भविष्य निधि से स्थाई आहरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है प्रार्थी के पुत्र का दिनांक 21.04.2022 को कृष्णा पैलेस, जिला अयोध्या (फैजाबाद) में शुभविवाह है जिसके लिए प्रार्थी ने सामान्य भविष्य निधि से रू0 10,00,000/- स्थाई रूप से आहरित किये जाने हेतु आवेदन किया है जिसके लिए वांछित प्रमाणपत्र व अंडर टेकिंग, वित्तीय वर्ष 2020-2021 को समाप्त पूरे वर्ष के लिए सामान्य भविष्य निधि लेखे के विवरण का ए.जी.यू.पी. की वैबसाईट से डाउनलोडेड विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 तथ 2021-2022 की जी.पी.एफ. पासबुक की स्वप्रमाणित प्रति तथा शादी कार्ड की प्रति संलग्न कर रहा हूँ।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है प्रार्थी को पुत्र के विवाह हेतु 10,00,000/-रू0 भविष्य निधि से स्थाई रूप से आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान करने की महती कृपा करें।

भवदीय,

29.3.2022

(जितेन्द्र कुमार पाण्डेय)
पीठासीन अधिकारी,
वाणिज्यिक न्यायालय,
मुरादाबाद

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।